न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स/01/2018

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1– (मृतक) मंगला पुत्र परमा जाति माली नमक कटरा भरतपुर
1/1–हुक्म सिंह पुत्र मंगल जाति माली
1/2–श्रीमती शान्ती पत्नी कन्हैया पुत्री मंगला जाति माली बुद्दी मो0 कांमा
1/3–श्रीमती रामदेई पत्नी मंगल पुत्री मंगला जाति माली सराय मोहल्ला, कांमा
1/4–श्रीमती चिरोंजा पत्नी मथुरा पुत्री मंगला मथुरा दरवाजा कांमा
2–धर्मसिंह पुत्र टीकम सा0 कुम्हेर दरवाजा भरतपुर **(मृतक)**
2/1–श्रीमती दिवालिया पत्नी धर्मसिंह जाति माली निवासी कुम्हेर दरवाजा भरतपुर
2/2–श्रीमती गिर्राजी पत्नी यादराम पुत्री धर्मसिंह जाति माली । निवासी कुम्हेरगेट
2/3–श्रीमती मोहनदेई पत्नी प्रेमनारायन पुत्री धर्मसिंह जाति माली। अन्दर भरतपुर
3– श्याम लाल पुत्र नारायन जाति कौली सा0 नमक कटरा भरतपुर
4–किशन लाल पुत्र गुरुदयालमल जाति खत्री कुम्हेर दरवाजा भरतपुर
5–राजाराम पुत्र रोवीराम कुम्हेर दरवाजा भरतपुर
6– भल्ला पुत्र रोबी राम कुम्हेर दरवाजा भरतपुर
7– मु0 विधावती पत्नी राजाराम
8– मु0कमला पत्नी विशन लाल कुम्हेर दरवाजा भरतपुर
9–कृष्णा देवी पत्नी विशन लाल कुम्हेर दरवाजा भरतपुर
10–ज्ञानचंद पुत्र धर्मदास कुम्हेर दरवाजा भरतपुर
11–महेश कुमार पुत्र धर्मदास कुम्हेर दरवाजा भरतपुर
12–गौरव गेरा पुत्र उमेश निवासी अनाह गेट भरतपुर
13–मोनिका गेरा पत्नी गौरव गेरा निवासी अनाह गेट भरतपुर
14–भूपसिंह जादौन पुत्र मंगल सिंह निवासी गांव श्यौराना तहसील भरतपुर
15–हनुमान प्रसाद गोयल एड. पुत्र रामजीलाल, निवासी 132 राजेन्द्रनगर भरतपुर
16–फूल कुमारी पत्नी हनुमान प्रसाद गोयल, निवासी 132 राजेन्द्रनगर भरतपुर
17–नवीन गोयल पुत्र शिवप्रसाद गोयल, निवासी सी–86 जवाहरनगर भरतपुर
18–सुभाष चन्द सिंघल पुत्र गिर्राज प्रसाद, राजेन्द्र नगर भरतपुर
19–सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी ए–10 रनजीत नगर भरतपुर

.....अप्राथीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 9 व 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बावत आराजी ख.न.1016 रकवा 1.07 बीघा बाके कस्वा भरतपुर चक नं. 2 नामान्तकरण संख्या 924,1284, व 1328.

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

1–पैरोकार सरकार
2–श्री सोनीराम शर्मा अभि0अप्रार्थी 9,
3–श्री हनुमानप्रसाद गोयल अभि. 15,16,17,18,
4–श्री रमनलाल मित्तल अभि.12,13,14,
5–श्री राजेश सोगरवाल,अभि. 19,

निर्णय **दिनांक 05.03.2025**

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 वावत निरस्त किये जाने नामान्तकरण संख्या 924,1284,1328 कस्वा भरतपुर चक नं. 2 गत आराजी खसरा नं0 1016 रकवा 1.07 विस्वा,भूमि किस्म गै.मु. हाल खसरा नम्बर 2608/0.14, 2609/0.08 है0 बने है निरस्त किये जाने एवं विवादित भूमि को राजकीय भूमि सिवाय चक खाई दर्ज किये जाने हेतु पेश किया गया ।

रेफरेन्स प्रकरण की संक्षेप में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि पूर्व में तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पर सुनवाई की जाकर यह रेफरेन्स/एलआर/02/6 उनवानी राज.सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर बनाम मंगला वगे. निर्णय दिनांक 20.7.2009 को इस न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया गया था। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.2018 से प्रकरण रेफरेन्स इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया है कि –

> ".....आया प्रश्नगत भूमि भौतिक रुप से नदी/नाला/तालाब/जलप्रवाह भूमि के रुप मे मौके पर उपयोग में आ रही है या नहीं, इस बिन्दु पर विधिवत रुप से भौतिक स्थिति की जॉच कर निश्चय किया जाना आवश्यक था। वादग्रस्त आराजी को किन शर्तों के आधार पर आवंटन किया गया था, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के आदेश आदि की प्रति भी प्रस्तुत नही की गई है। अतः सुस्पष्ट है कि मण्डल के समक्ष अभिशंषित रेफरेन्स अपूर्ण दस्तावेजात व अपूर्ण जॉच के उपरान्त प्रेषित किया गया है, जिसमें पुनः परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है..... ।"

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 15.05.2018 की प्रति के साथ पत्रावली प्राप्त होने पर भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर से रेफरेन्स रिपोर्ट तलब की गई। रेफरेन्स पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 9, 12 लगा. 19 के अभिभाषक उप. शेष अप्रार्थी. बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। पैरोकार सरकार एवं उप. अभिभाषक की बहस सुनी गई, योग्य अभिभाषक अप्रार्थी नं. 12,13,14 की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....3

पैरोकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 2608 रकबा /0.14, व 2609/0.08 है0 करबा भरतपुर चक नम्बर–2 बनाये गये हैं। गत आराजी खसरा नम्बर 1016 रकबा 1.07 बिस्वा आर.टी.एक्ट लागू होने से पूर्व से ही मकबूजा राज मिलिकियत सरकार दर्ज रिकार्ड थी गैर मुमकिन खाई के रुप में स्थित थी जो शहर की कॉलोनीयों/बस्ती से गदें पानी व बरसाती पानी के निकास के काम आती थी। पैरोकार सरकार का कहना है कि उक्त आराजी गैरसायल मंगला पुत्र परमा व धर्मसिंह पुत्र टीकम को एक वर्ष के पट्टे पर दिया जाना राजस्व रिकार्ड में अंकित है। कथित पट्टे का न तो नवनीकरण हुआ और नहीं नियमित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियान से साज कर जरिये नामान्तकरण संख्या 924 गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जब कि एक वर्ष के लिये पट्टे पर दी गई भूमि पर नियमानुसार किसी प्रकार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जीवनकाल में अनियमित खातेदारी प्राप्त कर उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 को विक्रय कर दिया जिसके नामान्तकरण संख्या 1284, 1328 खोले गये। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि मौके पर मौका रिपोर्ट पटवारी एवं गूगल कैड मैप हाल खसरा नम्बर 2608, 2609 पेश करते हुये बताया कि विवादित खसरा नम्बर गत 1016 में सीएफसीडी (खाई) बनी हुई है, वर्तमान में शहर बस्तीयों का गन्दा पानी व बरसात के पानी का बहाव क्षेत्र (विवादित आराजी) सीएफसीडी (खाई) में आता है, अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी में गलत इन्द्राजात के आधार पर सीएफसीडी (खाई) क्षेत्र की भूमि पर नियमों के विपरीत खातेदारी प्राप्त कर ली है तथा शहर की आस पास की रिहायसी बस्ती कोलोनीयों का गन्दा पानी व बरसात के पानी के बहाव क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है तथा कर रहे हैं। पैरोकार सरकार ने यह भी बताया कि अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड भरतपुर के पत्र क्रमांक /आरसी/611 दिनांक 19.4.2002 के द्वारा बिवादित गत खसरा नम्बर 1016 को सिटी फलड कन्ट्रोल ड्रेन परियोजना के एलाइन्मेन्ट के अन्तर्गत खाई आने वाली भूमि माना गया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क है कि अप्रार्थी0 द्वारा सीएफसीडी (खाई) पानी बहाव क्षेत्र में स्थित अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो भविष्य में शहर की आस पास की रिहायसी बस्ती कोलोनीयों का आने वाली गन्दा पानी व बरसात के पानी के निकास की समस्या हो जावेगी तथा शहर की सीएफसीडी (खाई) के आस पास की बस्तीयां नालीयों के गन्दे पानी एवं वर्षात के पानी से जलमग्न हो जावेंगी जिससे आमजन को समस्या होगी। विवादित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(3) व माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार द्वारा प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। अस्थाई पट्टेदार उक्त भूमि पर कृषक की श्रेणी में नही आता है तथा विवादित आराजी को एक वर्षीय पट्टे पर दी गई पानी बहाव क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी नही दी जासकती है।

.....4

जिला कलेक्टर
भरतपुर

विवादित भूमि पर पट्टेदार दर्शाते हुये बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत तत्कालीन तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 924 दिनांक 3.6.62 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। गलत आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स किया जा सकता है। पैरोकार सरकार का तर्क है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अंतर्गत कृषक / उपकृषक को सहायक कलक्टर के आदेश से ही खातेदारी अधिकार अर्जित हो सकते थे। प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 924 दिनांक 3.6.62 चक न.2 एवं इसके बाद खोले गये नामान्तकरण 1284 व 1328 एव इसके बाद सभी इन्द्राजों को शून्य घोषित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि इनका तर्क है कि प्रस्तुत रेफरेन्स म्याद बाहर बाद पेश किया गया है जो काबिल निरस्त के है। इनका यह भी कहना है कि विवादित आराजी गैरसायल नम्बर एक के कब्जे काश्त की आराजी है उसने कानून रुप से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। प्रार्थी का भू–खण्ड विवादित आराजी खाई सी.एफ.सी.डी से अलग स्थित है ना ही कभी गैर मुमकिन खाई दर्ज रिकार्ड रही है और ना वर्तमान में है। विवादित आराजी पर सायल नम्बर एक का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही कब्जा चला आरहा है। इनका यह भी तर्क है कि सायल नम्बर एक व दो ने खातेदारी प्राप्त की है आराजी का 1/3 हिस्सा हम गैरसायलान को जरिये. रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान किया गया है। विक्रयनामा के आधार पर हमने खातेदारी प्राप्त कर ली है। हमारे नाम नामान्तकरण संख्या 1328 से खातेदारी मिली है। गैरसायलान ने भूमि रुपान्तरण कराकर नगर परिषद से निर्माण मंजूरी लेकर शोरुम का निर्माण कराया है। विवादित आराजी अनेक लोगों को विक्रय हो चुकी है। दाखिल खारिज विधि अनुसार स्वीकार किया गया है। खातेदारी मुताविक कानून धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से वैधानिक तरीके से प्राप्त हुई है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि गत आराजी खसरा नम्बर 1016 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा से हाल आराजी खसरा नम्बर 2608,2609, 2610 बनाये गये हैं, हाल आराजी खसरा नम्बर 2608 रकवा 14 ऐयर नगर सुधार न्यास भरतपुर के नाम दर्ज है और उसमें दुकानात बनी हुई है। सड़क बतरफ पश्चिम कुम्हेर गेट को जाने वाली और उसके पूरव में सी.एफ.सी.डी. निर्माण हो रही है और उसके पश्चिम कच्ची पटरी इत्यादि बनी हुई उससे प्रार्थीयान द्वारा खरीद किये गये भू–खण्ड एवं गैरिज मौके पर स्थित है उसके पूर्व में कच्चा रास्ता सी.एफ.सी.डी. एवं उसके बाद सी.एफ.सी.डी. के निर्माण का जाल डल चुका है उससे करीब 70 फुट दूर आराजी खसरा नमबर 2608 स्थित है। रेफरेन्स गलत आधार पर पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–9 के अभिभाषक ने बताया कि पट्टे प्रत्येक साल नवीनीकरण होते रहे हैं पट्टेदार को कभी बेदखल नहीं किया गया है और उनका

.....5

जिला कलेक्टर
भरतपुर

कब्जा निरन्तर चलता रहा जिसके कारण पट्टेदारान को धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत हकूक खातेदारी पैदा हुये हैं। विवादित आराजी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. का कहना है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने मौके की जांच कर निस्तारण के निर्देश दिये हैं। खातेदारान द्वारा भूमि कन्वर्जन कराकर विधिवत नगर परिषद से मंजूरी कर मकान निर्माण कराये हैं। रेफरेन्स चलने योग्य नही है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. 12,13,14 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मंगला पुत्र परमा जाति माली निवासी नमक कटरा भरतपुर जिसने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.11.1971 से ज्ञानचंद व महेशचंद जैन को विक्रय कर कब्जा दिया था और तदुपरान्त ज्ञानचंद व महेशचन्द के वारिसान ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.5.2017 बयनामा से प्रार्थी गौरव, मौनिका व भूपसिंह को दुकानात का विक्रय कर कब्जा दिया था जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है। ज्ञानचन्द जैर ने खरीदशुदा सम्पत्ति पर निर्माण स्वीकृति नगर निगम से दिनांक 13.1.75 से नक्शा एप्रूव किया था तदुपरान्त अप्रार्थीगण ने दुकान व शोरुम का निर्माण कराया तब से आज दिन तक शोरुम मौके पर निर्मित लगभ 50 साल अप्रार्थीगण काविज रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रस्तुत रेफरेन्स अवधि पार है। रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष अभिभाषक के कथनों पर गौर किया। रैफरेन्स की म्याद में कोई अवधि नहीं है जैसा कि आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

इसी प्रकार आर 0वी0जे0 (10) पेज 218 माननीय राज0 उच्च न्यायालय में प्रतिपादित किया है कि

".....Rajasthan Land Rev. Act. 1956.. Section 82- No limitation is prescrived for making reference..."

पत्रावली में उपलब्ध शामिल खसरा टीप कस्वा भरतपुर चक नं.2 सम्वत् 2004–2009 का अवलोकन किया, उक्त खसरा टीप में विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1016 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा पर कॉलम में निम्न इन्द्राज किया हुआ है

".....मकबूजा राज
धरमसिंह व.टीकम, मंगल व. परमा जाति माली,सा.कुम्हेर दर.
प. 1 साल आगे.....अपठनीय.... ।"

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

राजस्व रिकार्ड में हो रहे उक्त इन्द्राज से जाहिर है कि विवादित आराजी मकबूजा राज सरकारी भूमि है। उक्त इन्द्राज में किसी आदेश या पट्टा नम्बर वगै. का कोई उल्लेख नहीं है, अप्रार्थी संख्या 2 धरमसिंह वल्द टीकम व अप्रार्थी संख्या–1 मंगला वल्द परमा को बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा के तत्कालीन पटवारी द्वारा नियमों के खिलाफ पट्टार दर्ज कर दिया गया है, इसी प्रकार आगे भी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 में उक्त इन्द्राज को दोहराया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से कथित राजस्व अभिलेख में अंकित कथित पट्टा होने या उसके आगे बढाये जाने सम्बन्धी कोई साक्षय पेश नहीं किया गया है। इससे यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी मंगला व धर्मसिंह ने तत्समय राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर बिना पट्टा के राजस्व रिकार्ड में अपने को पट्टादार दर्ज करा लिया है, जो प्रचलित नियमों के खिलाफ होने से किये गये इन्द्राज काबिल खारिज के रहते हैं। भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1016 से बने हाल खसरा नम्बर 2608 व 2609 में सी.एफ.सी.डी. निकली हुई है। मौका अनुसार सी.एफ.डी. के आस पास बनी बस्तीयॉ/कालोनीयॉ जैसे प्रताप कॉलोनी, बापूनगर कुम्हेरगेट क्षेत्र, ईदगाह कॉलोनी, आदि की नालियॉ का गंदा पानी एवं वर्षात का पानी का निकास बहाव उक्त सी.एफ.सी.डी.(विवादित आराजी) में है। कॉलोनीयॉ एवं बस्तीयों का सारी पानी के निकास बहाव क्षेत्र में अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से खातेदारी प्राप्त कर अतिक्रमण करने, पानी का बहाव सी.एफ.सी.डी. में आने से अवरुद्ध होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अगर इन अप्रार्थीगण अतिक्रमीयों द्वारा नियमों के विरुद्ध पानी बहाव क्षेत्र सी.एफ.सी.डी में किये गये अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया तो आस पास की कॉलानीयॉ/बस्तीयों का गन्दा पानी, वर्षात के पानी निकास नहीं होने से ये कॉलोनीयॉ जलग्न हो जावेगी, आमजन को असुविधा एवं बिमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहेगा। दौराने बहस पैरोकार सरकार नायव तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रस्तुत गूगल कैड मैप अनुसार कस्वा भरतपुर चक न.2 के हाल खसरा नम्बर 2608 व 2609 सी.एफ.सी.डी बहाव क्षेत्र में दर्शाये हुये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गत आराजी खसरा नं0 1016 रकवा 1.07 विस्वा,भूमि किस्म गै.मु. हाल खसरा नम्बर 2608/0.14, 2609/0.08 है0 कस्वा भरतपुर चक न.2 तहसील भरतपुर गैर मुमकिन पानी क्षेत्र (सी.एफ.सी.डी.) की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी भूमियों को आंवटन नहीं किया जा सकता है, और ना ही ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। विवादित आराजी में लोकहित अथवा राज्यहित निहित है।

.....7

जिला कलक्टर
भरतपुर

डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. (पीआईएल) 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में माननीय उच्च न्यायालय ने जल बहाव क्षेत्र, नदी तालाब, पोखर आदि जलाश्यों से सबंधित भूमियो को पूर्व की स्थिति में दर्ज करने के निर्देश हैं। अस्तु गत आराजी खसरा नं0 1016 रकवा 1.07 विस्वा, भूमि किस्म गै.मु. हाल खसरा नम्बर 2608/0.14, 2609/0.08 है0 कस्वा भरतपुर चक न.2 तहसील भरतपुर गैर मुमकिन पानी क्षेत्र (सी.एफ.सी.डी.) की भूमि पर नियमों के विपरीत अप्रार्थी संख्या मंगला पुत्र परमा एवं धर्मसिंह पुत्र टीकम जाति माली के हक में स्वीकार किये नामान्तकरण संख्या 924 दिनांक 3.6.62 बाके कस्वा चक न. 2 भरतपुर को एवं उसके बाद अप्रार्थी0 के नाम खोले गये नामान्तकरण संख्या 1284 व 1328 को निरस्त कराये जाने एवं विवादित आराजी को पूर्वतः गै.मु.पानी बहाव क्षेत्र दर्ज कराये जाने के आदेश पारित करने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुर्क्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि नियमों के विपरीत स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 924 दिनांक 3.6.62 बाके कस्वा चक न. 2 भरतपुर तथा इसके बाद विवादित आराजी के किये गये विक्रयनामा को भी शून्य घोषित किया जावे एवं उनके आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 1284, 1328 कस्वा भरतपुर चक नं.2 तहसील भरतपुर निरस्त किया जावे। राजस्व रिकार्ड में विवादित गत आराजी खसरा नं0 1016 रकवा 1.07 विस्वा, भूमि किस्म गै.मु. हाल खसरा नम्बर 2608/0.14, 2609/0.08 है0 कस्वा भरतपुर चक न.2 पर हो रहे अप्रार्थीगण इन्द्राजात को कलमजन कर उक्त आराजी को राजकीय भूमि पूर्वतः गै.मु.पानी बहाव क्षेत्र दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 22.5.2025 को उपस्थित हों। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2025 को सरेइजलास सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर